



117

115 1Re



3/2

46 D Pro U  
 10023 IA with the  
 permission by L.R.DC  
 Jundega vide case no 343/16-17



ममोजित सिंग  
 9-10-2017  
 जल डोर  
 9.10.17

order  
 22-4-17

विक्रय-पत्र

1. लेख्यकारी :- अमोस डॉग वो जोन डॉग दोनों पिता <sup>स्व0</sup> मसीह मुण्डा उर्फ मसीह प्रकाश डॉग, जाति-मुण्डा, पेशा-सेवा निवृत्त एवं कृषि, निवास ग्राम-सिमडेगा बाजार टोली, थाना सिसमडेगा, जिला-सिमडेगा झारखण्ड

आधार कार्ड नं0 क्रमांक:-3546 2652 5962 एवं 8280 2325 3210

शपथ-पत्र संख्या- 81/82/2018

... बिक्रेता  
 पेज नं0 2

अचल दास उर्फ मसिह  
 मसिह उर्फ मसिह  
 मसिह उर्फ मसिह  
 मसिह उर्फ मसिह

पिता - स्वः दागेर लुण्डा  
 ग्राम - सिमडेगा बाजार टोली  
 थाना - सिमडेगा  
 जिला - सिमडेगा  
 9-10-17



2. लेखधारी :- श्रीमति जैतून सियोन टेटे पीत सुरसेन टेटे ,  
 जाति - छाडिया, पेशा नौकरी निवासी ग्राम-  
 गरजा पहारटोली, थाना सिमडेगा जिला-सिमडेगा  
 झारखण्ड  
 आधार कार्ड नं- 7397 1685 8345  
 शंपथ-पत्र संख्या : 83 / 2018  
 हाकिम नं- 0120000012000 एम 0

.. .. क्रेतिका भारतीय

मौज सिमडेगा  
 09-10-2017  
 जात सिमडेगा  
 9.10.17

3. लेखप्रकार :- बिबध्य-पत्र केवाला

4. मूल्य :- मोबिलिग- 394000/=रुपये , तीन लाख चौरानब्बे  
 हजार रुपये जिसका आधा एक लाख सन्तानब्बे  
 हजार रुपये अके 197000/= रुपये होता है ।

5. सम्पति :- मौजा सिमडेगा, बाजारटोली, थाना/अंचल=सिमडेगा,  
 जिला अवर निबंधक कार्यालय वो जिला- सिमडेगा,  
 थाना नं- 116 एक सौ सोलह छाता नं- 63  
 इतिरसठ पलाट नं-241 एक सौ एकतालिष  
 रकबा 1.17 एकड़ में से 0.08 1/2 एकड़ सादे आठ विसिमल  
 दर्जा, जमीन टांड आवासीय, जिसपर कोई निर्माण  
 कार्य, या निर्माण या पेड़ पौधा नहीं है ।  
 मालगुजारी 0.05 रु० अलावे सेस सलाने ।

चौहद्दी :- उत्तर - टांड पलाट नं- 53  
 दक्षिण - दोन पलाट नं- 242  
 पूरब - टांड इसी पलाट का अंश नीज  
 क्रेता ।

पश्चिम- टांड इसी पलाट का अंश हाल हारीदगी ।  
 यह जमीन शहररी क्षेत्र के वार्ड नं- 12 में  
 अवीस्थित है ।

ललित बिहार कटुलगा  
 पिरा-बी सबन कटुलगा  
 पो- सिमडेगा  
 थाना- सिमडेगा  
 जिला- सिमडेगा

हमलोग घोषित करते हैं कि यह बिक्रय वाली जमीन छापाश महल, कैरारेहिन्द, सैरात, भूहदबन्दी, आम गैरमजल्आ, लीज, से संबंधित नहीं है।

४क४ चूंकि हमलोगों को छोटी लायक जमीन खारीदने की इच्छा हुई। और जमीन बिक्री के सिवाय रुपये प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं रहने के कारण लेख्यधारी से हमारी उपर्युक्त जमीन को खारीद लेने का आग्रह किया, जिसे वे खारीदना स्वीकार की।

अतः हमलोगों ने हमारी उपर्युक्त जमीन को लेख्यधारी से बिक्री करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार, सिमडेगा की न्यायालय में दिया। जिसे राजस्व अनुमति वाद संख्या- 343/2016-17 दर्ज किया गया। एवं अंचल अधिकारी सिमडेगा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त की गई है। जिसका पत्रांक संख्या- 228 दिनांक 12.04.2017 है। तथा अनुमति आदेश पारित किया गया है, जिसकी एक प्रति हमें प्राप्त हुई है, जो मेमो नं०- 3828/11 दिनांक 22.04.2017 के द्वारा निर्गत है।

४ख४ अतः हमलोग अपने-अपने स्वेच्छा से शरीर और मन की स्वस्थता में उमर वर्षित सम्पति का पूरा कीमत लेख्यधारी से नगद चुकता पाकर बेव दिया। तथा इस सम्पति का पूरा अधिकार एवं स्वामित्व लेख्यधारी को हस्तांतरित कर दिया। अब इस सम्पति पर हमारा या हमारे किसी भी उत्तराधिकारी न कोई अधिकार रहा न आईन्दे होगा।

① मन्मथ सिंह  
11 अप्रैल 2017  
9.10.17



१ग१ हमलोग यह घोषित करते हैं कि हमारी पुत्रतैनी कासमी जमीन है। जिसके छांटियानी रैयत हमारे पिता मसी मुण्डा उर्फ मसीह प्रकाश मुण्डा वगैरह है। तथा छांटियान में लगान पाने वाले का नाम मैनेजर इनकम्बर्डइस्टेट मीन जानीब टिकैत श्री निवास हुकुम सिंह देव दर्ज है। यह सम्पत्ति हमें उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है तथा आपसी बंटवारा में यह सम्पत्ति हमारे हिस्से एवं कब्जे में आई है। दानिएल महतो हमारे बड़े दादा है उन्हीं के नाम मालगुजारी की रशीद निर्गत होता है। जो पंजी 111 के भोल्यूम नं०- I पेज नं० 88 में उनका नाम इन्दराज है। एवं जिसपर हमारा दखाल-कब्जा निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। एवं उसपर कोई शक या भार नहीं है।


१घ१ लेखधारी को उपर्युक्त जमीन पर दखाल-कब्जा दे दिया है। अब लेखधारी जैसा चाहे अपने उपयोग में लावे और दाखाल-छांटिरज अपने नाम करावे मालगुजारी सरकार को दिया करें।

इसीलए यह बिक्रय-पत्र दस्तावेज लिखा दिया कि समय पर काम आवे और प्रमाण रहे।

19-01-5  
-5015-11  
जान-11  
① मसूमर-इंज

लेखकारी :- हमलोग यह घोषित करता हूँ कि यह सम्पति भू-हदबन्दी अधिनियम की सीमा निर्धारण से अधिक नहीं है। तथा इससे संबंधित कोई मामला मेरे बिम्ब किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

① अमोस सांग  
2 जॉन सांग  
9-10-17



① अमोस सांग  
= जॉन सांग  
9-10-17

प्रमाणित किया जाता है कि लेखकारी श्री. अमोस सांग एवं जॉन सांग ने अपने अपने बाएँ हाथ के पाँचों अंगुलियों का निशान मेरे सम्मक्ष दिया। अजय कुमार  
अधिकारी 9-10-17  
पृष्ठ नं० 6

लेख्यधारी :- मैं यह घोषित करती हूँ कि इस दस्तावेज के द्वारा प्राप्त भूमि के बाद भी मेरे हिस्से भू-हदबन्दी अधिनियम की सीमा निर्धारण से अधिक नहीं है ।

जेन्स सिमोन टेटे

9.10.17



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारी श्रीमती जेन्स सिमोन टेटे पति सुरेश चंद्र टेटे ने अपने बाएँ हाथ के पाँचों अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष रखा। अजय कुमार (अधिवक्ता) इस दस्तावेज का प्रारूप मेरे द्वारा तैयार किया गया है 09.10.17

प्रमाणित किया जाता है  
॥ जाँच 9.10.17

तथा इसके पक्षकारों को पढ़कर सुना वो समझा दिया गया है ।  
जिसे वे भी पढ़कर स्वीकार किये कि सही है ।

प्रारूपकर्ता,

अजय कुमार

अधिवक्ता

अधिवक्ता, सिमडेगा । 09/10/17

इस दस्तावेज में कुल 6 पन्नों पर मेरे द्वारा कुल 615 शब्द टंकित किया गया है जो छाण्डण रहित है एवं बिक्रय वाली जमीन का नक्शा संलग्न है जो इस दस्तावेज का अंश है ।

टंक :- देवनिस बाड़ा  
2.12.2016/20

॥ देवनिस बाड़ा ॥

सिमडेगा कोर्ट, सिमडेगा